न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 86/2023
अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

रतनालाल पुत्र रंगलाल जाति जाट उम्र 25 साल निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

1. जतनलाल पुत्र रंगलाल जाति जाट
2. छगनलाल पुत्र रामकरण (ना.औ. फौत)
3. पूसाराम पुत्र रामकरण जाति जाट

(प्रफोमा पक्षकार)

1. गोगा पुत्र भूरा (फौत)
1 (1). तीजा पत्नि गोगा जाति जाट
1 (2). रामराज पुत्र गोगा जाति जाट
1 (3). अलपू पुत्री गोगा जाति जाट
1 (4). नेराज पुत्री गोगा जाति जाट
1 (5). शान्ति पुत्री गोगा जाति जाट
2. तेजू पुत्र माँगू जाति जाट
3. मगँला पुत्र माँगू जाति जाट
4. हरिराम पुत्र माँगू जाति जाट

सर्वनिवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

5. भू–धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज०
6. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा दादिया जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

निर्णय दिनांक 13.8.25

1. संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी के कब्जे काश्त की सहखातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम दादिया के वर्तमान राजस्व नक्शे मे नवीन खाता संख्या 622 के खसरा नं0 423 की शुद्धि की जाकर पूर्व में संवत 2027 के राजस्व नक्शे के अनुसार ही सही किया जाकर खसरा नं0 425 व 426 की शद्धि किये जाने हेतु निवेदन किया है ।

2. यह कि मुझ प्राथी का नाम भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आदि में सत्यनाराण पुत्र लादू अंकित हैं। जो कि कृषि जमाबन्दी के खाता संख्या नया 75 पुंराना 77 के खसरा संख्या 255 व 256 का कुल क्षेत्रफल 2.0630 है. में गलत दर्ज होकर भैरू पुत्र लादू अकिंत हो गया हैं जो कि गलत दर्शाया गया है, क्योकि मुझे भैरू नाम से पुकारा जाता था इस कारण विरासत के नामान्तरण मे बचपन का नाम भैरू पुत्र लादू अकिंत हो गया, जो कि गलत दर्ज हो गया।

3. यह कि प्रार्थी राजस्व ग्राम दादिया के नवीन खाता सख्या 622 के आराजी खसरा नम्बर 423 रकबा 2.0953 हैक्टयेर भूमि में प्रफोमा पक्षकार संख्या 01 लगायत 03 के साथ सहखातेदार है तथा उपरोक्त खसरा संख्या 423 का भू–नक्शा सवंत 2027 के नक्शे के

उपखण्ड अधिकारी अराँई (अजमेर)

अनुसार सही है तथा उक्त नक्शे के अनुसार खसरा संख्या 425 व 426 भी सही है परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 423 को सहवन से कम करते हुए खसरा संख्या 425 व 426 में बिना किसी कारण के राजस्व नक्शे को बड़ा कर दिया गया जिससे वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 423 अशुद्ध हो गया है, जिसे शुद्धी करवाने हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि राजस्व ग्राम दादिया के नक्शा लट्ठा में संवत 2027 के नक्शे में खसरा नम्बर 423 संलग्न नक्शा अनुसार सहीं दर्ज है। परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 423 कि तरमीम कम करते हुवे सहवन से त्रुटि पुर्वक खसरा संख्या 425 व 426 के राजस्व नक्शे में उक्त तरमीम को बडा कर दिया गया जिससे खसरा संख्या 423 की तरमीम वर्तमान नक्शे में गलत व कम दर्ज हो गयी है जिसे सवंत 2027 के राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थी शुद्धी करवाना चाहता है।।

प्रकरण को दिनांक 26.10.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 86/2023 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 26.10.2023 अप्रार्थीगणो सम्मन नोटिस जारी किए गए । दिनांक 19.7.2024 को अप्रार्थीगणो के तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए ।दिनांक 1.8.2025 को अप्रार्थीगणा बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । पेरोकार सरकार तहसीदार अराई का जवाब व मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पेरोकार सरकार के जवाबअनुसार ग्राम दादिया के वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी खाता संख्या 622 ख.सं. 423 रकबा 2.0953 हैक्टेयर में छगनलाल पुत्र रामकरण हि. 1/4 जतनलाल पुत्र रंगलाल हि. 1/4 पूसाराम पुत्र रामकरण हि. 1/4 रतनलाल पुत्र रंगलाल हि. 1/4 दर्ज है । ग्राम दादिया के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 150 ख. सं. 425 रकबा 2.6639 हैक्टेयर में अल्यु पुत्री गोगा हि. 1/5 तीजा पत्नी गोगा हि. 1/5, मनराज पुत्री गोगा हि. 1/5 रामराज चौधरी पुत्र गोगा हि. 1/5. शांति देवी पुत्री गोगा हि. 1/5 राजस्व रेकोर्ड में ना.सं. 4122 दिनांक 05.02.2024 विरासत से दर्ज हुआ है, । ग्राम दादिया के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 273 में ख.सं. 426 रकबा 0.3964 हैक्टेयर में तेजू पुत्र मांगू हि. 1/3 मंगला पुत्र मांगू हि. 1/3, हरिराम पुत्र मांगू हि. 1/3 राजस्व रेकोर्ड दर्ज है । अतः जांच रिपोर्ट में संलग्न दस्तावेज मय नक्शा प्रति रिपोर्ट तहसीलदार अराई अनुसार शुद्धि किया जाना उचित होगा हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें हैं कि शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे । । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जायेगी। राजस्व रिकार्ड में वाद अधीन भूमि राजस्व ग्राम दादिया के वर्तमान राजस्व नक्शे में नवीन खाता संख्या 622 के खसरा नं0 423 की शुद्धि की जाकर पूर्व में सम्वत 2027 के राजस्व नक्शे के अनुसार ही सही किया जाकर खसरा नं0 425 व 426 की भी शुद्धि की जाकर पूर्व की भांति शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड में दुरूस्तीइस प्रकार की जावे कि दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)